

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 56 वर्ष 2023

आवेदक-लखन महतो

ग्राम-बाराडीह,

थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो

क्रेता-रतनी देवी

ग्राम-बाराडीह,

थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो

आदेश की
क्र० सं० एवं
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर
कार्रवाई के
टिप्पणी तारि
साथ।

03

आदेश

यह वाद आवेदक लखन महतो, पिता- स्व० कार्तिक महतो, निवास ग्राम-बाराडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बाराडीह	56	120	285	0.03 ए०	0.02½ ए०	टांड II

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 33,000/रु०-(तीस हजार) रुपये में क्रेता-रतनी देवी, पति-स्व० छेदी महतो, निवास ग्राम-बाराडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक-614/रा०, दिनांक 29.05.23 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांक-50, दिनांक 12.04.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में आरतु पेशरान- तोता महतो व चीतामन महतो पेशरान-तोताराम महतो व रामलाल पेशरान तोता राम महतो के नाम से दर्ज हैं। ऑनलाईन पंजी- II के पृष्ठ सं० 156/IV में पेरो देवी पति- कार्तिक महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला है।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध माता का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में आरतु पेशरान- तोता महतो व चीतामन महतो पेशरान-तोताराम महतो व रामलाल पेशरान तोता राम महतो के नाम से दर्ज हैं। ऑनलाईन पंजी- II के पृष्ठ सं० 156/IV में पेरो देवी पति- कार्तिक महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद

नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्व दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कगजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- केवाला की छायाप्रति है लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कगजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्न महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक लखन महतो, पिता- स्व० कार्तिक महतो, निवास ग्राम-बाराडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खा ता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द०सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बाराडीह, 56	120	285	0.03 ए०	0.02½ ए०	रास्ता	दौलत कुम्हार वो बानेश्वर महतो	नीज रतनी देवी लेख्यका री	गढीया वकै
कुल				02½ डी० (दो पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल जमीन मात्र)				

मो० 33,000/- (तींतीस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता रतनी देवी, पति-स्व० छेदी महतो, निवास ग्राम-बाराडीह, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।